महत्वपूर्ण /शीर्षप्राथमिकता

संख्या-29/2015/जी0आई0-158/38-4-15-22(विविध)/2015

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2015**

विषय:- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 सूची का संतृप्तीकरण होने पर बी0पी0एल0 परिवार को स्पिलिट कर वर्ष-2015-16 में लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-641/38-4-14-86(विविध)/2010, दिनांक-21.05.2014 एवं शासनादेश संख्या-556/38-4-15-22(विविध)/2015, दिनांक-04.06.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारत सरकार द्वारा SECC के आधार पर नये दिशा-निर्देश अन्तिम न होने के कारण इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्ष 2015-16 में इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों के चयन हेतु शासनादेश संख्या-556/38-4-15-22(विविध)/2015, दिनांक-04-06-2015 द्वारा जारी किये गये निर्देश को निरस्त समझा जाये तथा इस सम्बन्ध में निम्नानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाये:

(i) स्थायी प्रतीक्षा सूची में जो पात्र लाभार्थी शेष रह गये हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किया जाए।

(ii) बी0पी0एल0 सूची 2002 गरीबी के क्रम में बनी है, जिसके आधार पर आवासहीन परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची बनायी गयी थी। किसी भी श्रेणी में स्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी पात्र परिवारों को अवास आवंटित होने के उपरान्त यदि किसी कारणवश कुछ परिवार छूट गये हों तो बी0पी0एल0 सूची में से उन्हें पात्र परिवारों में चयनित कर स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम बढ़ाये जा सकते हैं।

(iii) उपर्युक्त प्रथम एवं द्वितीय प्राथमिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् भी यदि किसी श्रेणी में लक्ष्य पूर्ण न हो तो स्थायी प्रतीक्षा सूची में विद्यमान उन परिवारों को स्पिलिट किया जायेगा जो विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्पिलिट नहीं किये गये हैं। यदि स्पिलिट होकर एक से अधिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पात्र परिवार बने हैं तो सभी का नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित करके उसमें सबसे गरीब परिवार का चयन कर बी0पी0एल0 सर्वेक्षण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर आवास आवंटित किया जायेगा।

(iv) यदि उपर्युक्त प्रस्तर (iii) की प्रक्रिया के चयन के पश्चात् भी किसी श्रेणी में लक्ष्य शेष रह जायें तो द्वितीय चरण की स्पिलिट प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। इसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची में विद्यमान सभी परिवारों (विगत वर्ष में विभाजित परिवारों को भी सम्मिलित करते हुए) की स्थिति को संज्ञान में रखते हुए दूसरी बार परिवार को स्पिलिट किया जायेगा और सभी बी0पी0एल0 पात्र व्यक्तियों को multiple splitting करके जोड़ दिया जायेगा। द्वितीय बार स्पिलिट करने के पश्चात् पूर्व की भांति निर्धनता के क्रमानुसार एक परिवार से एक ही लाभार्थी का चयन किया जायेगा।

(v) यदि द्वितीय विभाजन के पश्चात् भी एक-एक आवास आवंटित करके भी किसी श्रेणी में लक्ष्य की पूर्ति न हो तो पुनः स्थाई प्रतीक्षा सूची में क्रमांक-1 से प्रारम्भ करते हुए एक एक और आवास आवंटित किया जाये। यही प्रक्रिया लक्ष्य पूर्ण करने हेतु बार-बार अपनाई जाये।

(vi) Splitting की समस्त कार्यवाही बी0पी0एल0 सर्वेक्षण हेतु निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर की जायेगी। ऐसा करते समय इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देश(जून, 2013) के प्रस्तर-4.1 में निर्धारित वरीयता का पालन किया जायेगा।

(vii) उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार चयन करने के पश्चात् लाभार्थियों की अलग-अलग श्रेणी में सूची बनाकर सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी और दिनांक 05.09.2015 तक इस पर ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। चयन के दौरान ही बैंक खाता संख्या, मनरेगा जॉबकार्ड बनाकर उसका क्रमांक, आधार संख्या एवं मोबाइल नम्बर की भी जानकारी प्राप्त कर ली जाय एवं बैंक खाते की संख्या को फ्रीज करा लिया जाये।

(viii) चयनित लाभार्थियों की सूची पर नियमानुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उनकी पूर्ण सूचना आवास सॉफ्ट पर दिनांक 10.09.2015 तक अंकित करा दी जाए।

(ix) नये लाभार्थियों के लिए भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होकर पूर्व में ही अवमुक्त की जा चुकी है, अतः परिवारों का चयन अंतिम होते ही एफ0टी0ओ0 के माध्यम से उनके खाते में धनराशि स्थानान्तरित कर दी जाय। सभी लाभार्थियों को धनराशि दिनांक 14.09.2015 के पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(x) इस पूरी प्रक्रिया के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

क़पया इन्दिरा आवास योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 29/2015/जी0आई0-158(1)/38-4-2015, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 शासन ।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 ।
3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0 प्र0 ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
7- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0 प्र0 ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।